रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253571
CG-DL-E-05042024-253571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946
No. 229]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 243(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उप-निरीक्षक (सामान्य), मुख्य-आरक्षक (सामान्य), उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) और मुख्य-आरक्षक (चालक) के पदों से संबन्धित गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 को, जहाँ तक उनका संबंध उप-निरीक्षक (सामान्य), मुख्य-आरक्षक (सामान्य), उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) और मुख्य-आरक्षक (चालक), के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग, गृह मंत्रालय में उप-निरीक्षक (सामान्य), उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य आरक्षक (सामान्य) और मुख्य आरक्षक (चालक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग, उप-निरीक्षक (सामान्य), उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य-आरक्षक (सामान्य) और मुख्य-आरक्षक (चालक), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **अनुप्रयोग (लागू होना) -** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. **निर्हता,-वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या संविदा के अधीन विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा के अधीन विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की ओर से यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद/ अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1.उप-निरीक्षक (सामान्य)	*10 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 05 (रु. 29200 -92300)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	ग्रेड प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिसमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
लागू नहीं होता।	भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर पुनर्नियोजन।	**प्रोन्नति**: मुख्य आरक्षक (सामान्य), वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500–81100) के बीच से 05 वर्ष नियमित सेवा की हो **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति**: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पुलिस कार्मिक:- (क) (i) जो मूल संवर्ग (काडर) या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुये हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स	(I) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :- 1.उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो – सदस्य 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो-सदस्य (II) समूह-'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो – सदस्य 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो– सदस्य	लागू नहीं होता।

			(रु. 25500/- -81100/-) के स्तर-4 के पदों पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। और **(ख)** जिनके पास प्रशासन या उपापन या सामान्य प्रशासन से संबन्धित मामलो में तीन वर्षो का अनुभव हो। **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **पुनर्नियोजन द्वारा :** सेना में पंद्रह वर्ष की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिक जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास की हो एवं उनके पास हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ ही वे रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हों।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप निरीक्षक (मोटर परिवहन)।	1 * (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु.29200-92300)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा**: ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रूपये) के मुख्य आरक्षक (चालक) में से। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा**: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस कर्मी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग या समकक्ष में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुये हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500/- -81100/- रुपये) के स्तर-4 में नियमित आधार पर अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) वैध ड्राइविंग लाइसेंस और हल्के या भारी मोटर वाहन चलाने का पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	पदोन्नति पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :- 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो – सदस्य 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो-सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. मुख्य आरक्षक (सामान्य)	5* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह **'ग'**, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**4** (रु.25500-81100)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा**: ब्यूरो के अपराध रिकॉर्ड्, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग में अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रुपये) के आरक्षकों में से। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पुलिस कर्मी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग या समकक्ष में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हो; या **(ii)** मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.21700-69100) में स्तर-3 में नियमित पद पर अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) प्रशासन या उपापन या सामान्य प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	समूह **'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो - सदस्य।	लागू नहीं होता।

			विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. मुख्य आरक्षक (चालक)।	13 * (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नही होता।	भूतपूर्व सैनिक के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; दोनो के न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा**: ब्यूरो के अपराध रिकॉर्ड्, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग में अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रुपये) के आरक्षकों में से, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**(I)** समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो - सदस्य। **(II)** समूह-'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय	लागू नहीं होता।

			प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पुलिस कर्मी: (क) **(i)** जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग या समकक्ष में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हो; या **(ii)** जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.21700-69100) में स्तर-3 में नियमित पद पर अपने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) अभ्यर्थी के पास वैध मोटर ड्राइविंग लाइसेंस (हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन) हो और हल्के मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन चलाने का तीन साल का अनुभव हो। **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **पुनर्नियोजन द्वारा-** सेना में पंद्रह साल की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिक जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की हो एवं उनके पास हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ ही वे रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हों।	अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो – सदस्य 3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो– सदस्य	

[फा. सं. 33/1/2022-एडी.I(ए)/रा .अ.रि.ब्यू.]

संजय माथुर, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2024

G.S.R. 243(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the posts of Sub-Inspector(General), Head Constable(General), Sub-Inspector (Motor Transport) and Head Constable(Driver), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector(General), Sub-Inspector(Motor Transport), Head Constable(General) and Head Constable(Driver) in the National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, Sub-Inspector(General), Sub-Inspector(Motor Transport), Head Constable(General) and Head Constable(Driver), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Powers to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sub-Inspector (General).	10 * (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for Ex-servicemen.	(i) fifty per cent. by promotion failing which by deputation; and (ii) fifty per cent. by deputation failing which by Re-employment.	From amongst Head Constable (General) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Police Officials belonging to the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department or equivalent; or (ii) with five years' regular	I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman; 2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member. II. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman; 2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member.	Not applicable.

			service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in the parent cadre or Department; and (b) possessing three years' experience in matters relating to administration or procurement or General Administration. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications. **By re-employment:** Ex-servicemen having fifteen years of service in the Army having 10th class pass from a recognised Board and having a valid driving licence with experience of driving light and heavy motor vehicles, nominated by the Director General of Re-settlement, Ministry of Defence.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sub-Inspector (Motor Transport).	1 * (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	By promotion: From amongst Head Constable (Driver) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation :** Police Officials belonging to the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department or equivalent; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in the parent cadre or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman; 2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member.	Not applicable.

			Department; and (b) possessing a valid driving licence and five years' experience of driving light or heavy motor vehicles. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age -limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Head Constable (General).	5 * (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	**By promotion:** From amongst Constable in the level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade in the Crime Records, Administration and Training Division of the Bureau. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman;	Not applicable.

			for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Police Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) in the parent cadre or Department; and (b) Possessing three years' experience in administration or procurement or General Administration. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed	2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member.	

			fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Head Constable (Driver).	13 * (2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for Ex-servicemen	By promotion failing which by deputation failing both by re-employment of Ex-servicemen.	**By promotion:** From amongst Constable in level-3 in the pay matrix in (Rs.21700-69100), in the Crime Records, Administration and Training cadre with five years' regular service in the grade and having valid driving licence. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Police Officials of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis	I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman; 2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member. II. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau - Chairman; 2. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member; 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member.	Not applicable.

			in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) in the parent cadre or Department; and (b) possessing a valid motor driving licence (Light Motor Vehicle and Heavy Motor Vehicle) and three years' experience of driving Light Motor Vehicle or Heavy Motor Vehicle. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications. **By re-employment:** Ex-servicemen having fifteen years of service in the Army having 10th class pass from a recognised Board and having a valid driving licence with experience of driving light and heavy motor vehicles, nominated by the Director General of Re-settlement, Ministry of Defence.		

[F. No. 33/1/2022-Ad.I (A)/NCRB]

SANJAY MATHUR, Jt. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA